प्रेस विज्ञप्ति
17-02-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कुख्यात गैंगस्टर अनुपम दुबे और उसके परिवार के सदस्यों की 13.85 करोड़ रुपए की 33 अचल संपत्तियां और बैंक खाते में 85.75 लाख रुपए (कुल 14.70 करोड़ रुपए) को अंनतिम रूप से जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियां फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और कृषि भूमि और आवासीय भूखंडों के रूप में हैं। ये संपत्तियां मैनेजर अनुपम दुबे के माध्यम से अनुपम दुबे, अनुराग दुबे, उनके परिवार के सदस्यों और उनके एनजीओ "महेश चद्र दुबे अपूर्व फाउंडेशन" के नाम पर पंजीकृत हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत फरुखाबाद और उन्नाव में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर और अनुपम दुबे, उनके भाई अनुराग दुबे और अमित दुबे के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के आधार पर जांच शुरू की। एक एफआईआर में, अनुपम दुबे को एडीजे-8, कानपुर की अदालत द्वारा दिनांक 07.12.2023 के फैसले के तहत दोषी ठहराया गया है और 1996 में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि अनुपम दुबे और उनके भाई अनुराग दुबे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक धमकी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, अपहरण, जमीन पर जबरन कब्जा आदि जैसे अपराध करके अपराध की आय अर्जित की है। उन्होंने ये 33 अचल संपत्तियां वर्ष 2012-2021 के बीच अपराध की आय का उपयोग करके कम कीमत पर खरीदी थी और संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक है।

आगे की जांच जारी है.